



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ठक्कनी पारक्त राष्ट्रपत्रम् | त्रिलोकी श्रीनिंथी नालीन्थम् | चेन्जई और बैगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 बाट सुनिश्चित दिखती है तो कांग्रेस किसी दलित को उन्हींद्वारा बना देती है : चिराग पासवान

6 युवाओं की सूजनशीलता को मिटा रहे मादक पदार्थ

7 आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ पर कंगना ने 'इमरजेंसी' का पोस्टर जारी किया

फर्स्ट टेक

राहुल गांधी लोस में होंगे कांग्रेस संसदीय दल के नेता नई दिल्ली/एनसी। कांग्रेस नेता नेता राहुल गांधी 18 मीट लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता बनाये गये हैं। कांग्रेस महासचिव केरी वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़ा के आवास पर मंगलवार के दृढ़दण्ड के नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता नियुक्त किया गया है और इसकी जानकारी प्रॉटेम रसीकर भवुहरि महत्वाको को दे दी गई है।

यूक्रेन, मोल्दोवा यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए वार्ता शुल्क रखेंगे

ब्रस्लव ल्पी। यूक्रेन की सदस्यता के लिए आधिकारिक तरीके पर वार्ता शुल्क रखेंगे जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोमील रेलेंस्की ने इसे अपने देश के नारियों के लिए साधा बात होने जैसा बताया है। इसके साथ यूक्रेन के युद्ध के दो दाल से अधिक साध्य बाद यह वार्ता शुल्क होने जा रही है। यूक्रेन की यूरोपीय मामलों की उप प्रधानमंत्री ओली रेफ्फनीशिना लक्जमर्क में एक अंतर-सरकारी समिति में अपने देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ यूक्रेन के कानूनों और भान्हों को 27 देशों के सम्म में अनुमत दिया जाएगा। यूक्रेन की आधिकारिक शुल्कात होगी। मोल्दोवा भी इसे में आधिकारिक तौर पर शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अंतर-सरकारी सम्मिलन में भाग लेगा।

जन्म से वैष्णो देवी मंदिर तक हलीकॉटर सेवा शुरू

कर्त्ता/जन्म/भाग। जन्म से नाना वैष्णो देवी मंदिर तक मंगलवार को सीधी हलीकॉटर सेवा शुरू हो रही है जिसके समय की कमी के कारण एक दिन तक भीतर ही इस परंपरा भवित्व में दर्शन की इच्छा रखने वाले तीर्थयात्रियों को काफी सुविधा होगी। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। यह हलीकॉटर सेवे के लिए प्रसिद्ध विक्रुत पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आधार शिविर और मंदिर के पास सांझी छत के बीच बहारे से ही उपलब्ध होलीकॉटर सेवा के लिए उपलब्ध है, जिनका एक तरफ का दिन 2, 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। जन्म से इस सेवा का विक्रयक पर्याप्त चुनाव देती है जिसके साथ पक्ष की ओर से विचले अधिक्षय औम विलासी और विषयकी की ओर से को सुरक्षा आपने-सामने होती है। इसमें उर्दी विक्री के लिए प्रति व्यक्ति 60,000 रुपये और अलै दिन वापसी के लिए प्रति व्यक्ति 35,000 रुपये और अलै दिन वापसी के लिए प्रति व्यक्ति 60,000 रुपये लागती है। अधिकारियों ने बताया कि अवसर पर तीर्थयात्रियों को वापस रहता है जबकि उपर्युक्त पद दिया जाता है।

अटारहवीं लोकसभा : राहुल, अखिलेश, बिरला और सुप्रिया सुले समेत कई सदस्यों ने ली शपथ

26-06-2024 6:38 बजे 27-06-2024 5:45 बजे

BSE 78,053.52 (+712.45) NSE 23,721.30 (+183.45)

सोना 7,387 रु. (24 कैट) प्रति ग्राम चांदी 96,000 रु. प्रति किलो

मिशन नंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दिव्यांशु भारत लोकप्रिय हिन्दू दैत्य epaper.dakshinbharat.com

कैलाश नंडेला, गो. 9828233434

जनानीती खेल

कौन जमानत दे किसको, सारे रिमांड पर चढ़े हुए। कब्रों से मुर्दे जिन्हे हुए, जो थे वित्तों में मढ़े हुए। ईंडी हो या सीधी आई, सबके सवाल हैं गढ़े हुए। वे स्वयं अंगूठा दिया रहे, जो कानूनों को पढ़े हुए।

आबकारी 'घोटाला' :

उच्च न्यायालय ने अद्विद के जरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाग। दिल्ली न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोभन मामले में सुधारमंत्री अरविंद केरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार के दो बातों के बारे में विचार किया गया है।

निचली अदालत की न्यायाली विवाद, न्याय बिंदु ने 20 जून को केरीवाल को जमानत देने की ओर एक लाल रुपये के निजी मुद्रक पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय का रुख दिया और दलत दी कि निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "तदनुसार, वर्षमान आवेदन रखीकर किया जाता है और विवादित आदेश के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जानी है।"

निचली अदालत की न्यायाली विवाद, न्याय बिंदु ने 20 जून को केरीवाल को जमानत देने की ओर एक लाल रुपये के निजी मुद्रक पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय का रुख दिया और दलत दी कि निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "तदनुसार, वर्षमान आवेदन रखीकर किया जाता है और विवादित आदेश के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जानी है।"

निचली अदालत की न्यायाली विवाद, न्याय बिंदु ने 20 जून को केरीवाल को जमानत देने की ओर एक लाल रुपये के निजी मुद्रक पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय का रुख दिया और दलत दी कि निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "तदनुसार, वर्षमान आवेदन रखीकर किया जाता है और विवादित आदेश के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जानी है।"

निचली अदालत की न्यायाली विवाद, न्याय बिंदु ने 20 जून को केरीवाल को जमानत देने की ओर एक लाल रुपये के निजी मुद्रक पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय का रुख दिया और दलत दी कि निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "तदनुसार, वर्षमान आवेदन रखीकर किया जाता है और विवादित आदेश के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जानी है।"

निचली अदालत की न्यायाली विवाद, न्याय बिंदु ने 20 जून को केरीवाल को जमानत देने की ओर एक लाल रुपये के निजी मुद्रक पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय का रुख दिया और दलत दी कि निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "तदनुसार, वर्षमान आवेदन रखीकर किया जाता है और विवादित आदेश के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जानी है।"

निचली अदालत की न्यायाली विवाद, न्याय बिंदु ने 20 जून को केरीवाल को जमानत देने की ओर एक लाल रुपये के निजी मुद्रक पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय का रुख दिया और दलत दी कि निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए। ईंडी ने आले दिन उच्च न्यायालय को आदेश के निचली अदालत को आदेश 'त्रिपुरा' के रूप में देखा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "तदनुसार, वर्षमान आवेदन रखीकर किया जाता है और विवादित आदेश के निचली अ

